भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1743

उत्तर देने की तारीख: 01.08.2024

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

1743. **श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने व्यक्तियों ने पीएमईजीपी के तहत आवेदन किया है और लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमईजीपी के तहत रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो पीएमईजीपी के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी बढ़ाने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की शुरुआत से लेकर दिनांक 12.07.2024 तक, 78.84 लाख लोगों को अनुमानित रोजगार प्रदान करते हुए देश भर में लगभग 9.65 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 25,263.32 करोड़ रु. की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी की सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 12.07.2024 तक) के दौरान, 59,552 लोगों को अनुमानित रोजगार प्रदान करते हुए देश भर में लगभग 7,444 सूक्ष्म उद्यमों को 299.25 करोड़ रु. की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी की सहायता प्रदान की गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में आवेदन करने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या**
2021-22	9,552	2,477
2022-23	18,525	3,073
2023-24	33,903	5,577

(ग) प्रत्येक वर्ष, पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्यों को विगत वर्षों के कार्य-निष्पादन और स्कीम के लिए आबंटित समग्र बजट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, सहायता की जाने वाली इकाइयों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य अस्थायी हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
	इकाइयों की संख्या	**सहायता की जाने वाली इकाइयों की संख्या**
2021-22	92,666	103,219
2022-23	83,210	85,167
2023-24	80,120	89,118

(घ) सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए उठाए गए कदम:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई है।
ii. उच्च मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
iii. स्कीम के अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कीटों (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) जैसे पशुपालन से संबंधित उद्योगों को अनुमति दी गई है।
iv. पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्ष अर्थात, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 को छूट प्रदान की गई है।
v. 2 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं है और 5 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की लघु अवधि (5 दिन तक) है।
vi. भावी उद्यमियों में स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने हेतु सभी स्तरों पर जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है।
vii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार।

(ङ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पीएमईजीपी के अंतर्गत नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी पूर्व के अच्छे कार्य-निष्पादन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए द्वितीय ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। द्वितीय ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत 1.00 करोड़ रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. है। सभी श्रेणियों के लिए द्वितीय ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

***